



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-02062023-246253  
CG-DL-E-02062023-246253

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4  
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 366]  
No. 366]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 2, 2023/ज्येष्ठ 12, 1945  
NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 2, 2023/JYAISHTHA 12, 1945

राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग  
(चिकित्सा मूल्यांकन और रेटिंग बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 जून, 2023

सं. एम-27011/01/2023.—एमएआरबी राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग में निहित सम्पूर्ण प्राधिकार और विशेषकर धारा 57 की उपधारा(2) के साथ पठित राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग अधिनियम, 2019(2019 का अधिनियम 30) की धाराओं 26, 28 और 29 का प्रयोग करते हुए आयोग निम्नलिखित विनियमों का प्रावधान करता है—

- (i) इन विनियमों को “नए चिकित्सा संस्थानों की स्थापना, नए चिकित्सा पाठ्यक्रमों के शुरू किए जाने और विद्यमान पाठ्यक्रमों के लिए सीटें बढ़ाया जाना तथा मूल्यांकन एवं रेटिंग विनियम, 2023” संक्षेप में इस “चिकित्सा संस्थानों की स्थापना मूल्यांकन और रेटिंग विनियम, 2023” कहा जाएगा।  
(ii) ये विनियम भारतीय राजपत्र में उनके प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त हो जाएंगे।

अध्याय—I

परिभाषाएं

2. परिभाषाएं—इन विनियमों में जब तक संदर्भ की आवश्यकता अलग नहीं हो, इसमें परिभाषित विषय-वस्तु नीचे दिए गए अर्थों का पालन करेगी और उनकी सुसंगत अभिव्यक्तियों और भिन्न विषय-वस्तुओं को तदनुरूप समझा जाएगा—

क. ‘अधिनियम’ से राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग अधिनियम, 2019 अभिप्रेत होगा (वर्ष 2019 की अधिनियम संख्या 30)।

ख. 'मूल्यांकन' से आशय है कि संबंधित प्राधिकारियों द्वारा चिकित्सा संस्थान के मूल्यांकन की प्रक्रिया का राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान और अन्य प्राधिकारियों जैसी भी स्थिति हों, द्वारा समय-समय पर जारी लागू होने योग्य विनियमों, दिशा-निर्देशों/मानकों का पालन किया जाए।

ग. एमएआरबी से चिकित्सा मूल्यांकन और रेटिंग बोर्ड है जो राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग अधिनियम 2019 की धारा 16 के अधीन यथोचित रूप से गठित है, अभिप्रेत है।

घ. 'आयोग' से राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग अभिप्रेत है जिसकी स्थापना राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग, 2019 की धारा 3 के अधीन हुई है।

ड. "सम्बद्धता की सहमति" संक्षिप्त रूप सीओए आवेदन के नाम से जारी से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से लिखित में प्राप्त पत्र अभिप्रेत है जिसमें विश्वविद्यालय द्वारा आवश्यक अहर्ताएं प्रदान करने हेतु चिकित्सा संस्थान को संबद्ध किए जाने पर सहमति व्यक्त की गई है।

च. "अनिवार्य प्रमाण पत्र" संक्षिप्त रूप में इसी से आशय केंद्रीय सरकार या संबंधित राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन जैसी भी स्थिति हो द्वारा नए चिकित्सा संस्थान की स्थापना हेतु लिखित में अनुमति प्रदान किया जाना अभिप्रेत है।

छ. 'चिकित्सा संस्थान' से राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान, 2019 की धारा 2 की उपधारा झ में परिभाषित चिकित्सा संस्थान अभिप्रेत है, इसमें चिकित्सा महाविद्यालयों के नाम भी शामिल किए जाएंगे जो आमतौर पर प्रचलित रूप में है।

ज. "निरीक्षण"— 'निरीक्षण' की अभिव्यक्ति या गतिविधि में गैर-वास्तविक और/या वास्तविक निरीक्षण और वास्तविक जानकारी और/या डिजिटल रिकार्डों का मूल्यांकन शामिल है।

झ. "एमएसआर" से आशय यूजीएमईबी या पीजीएमईबी जो भी स्थिति हो द्वारा समय-समय पर अधिसूचित आवश्यकता के न्यूनतम मानक अभिप्रेत है, इसमें संबंधित बोर्डों या आयोग द्वारा जारी व्याख्यात्मक टिप्पणी, परिपत्र, सलाह आदि भी शामिल हैं।

ञ. "पीजीएमईबी" से आशय राष्ट्रीय चिकित्सा अधिनियम, 2019 की धारा 16 के अधीन सम्यक रूप से गठित स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा बोर्ड अभिप्रेत है।

ट. "यूजीएमईबी" से आशय राष्ट्रीय चिकित्सा अधिनियम, 2019 की धारा 16के अधीन सम्यक रूप से गठित अन्तर-स्नातक चिकित्सा बोर्ड अभिप्रेत है।

3 **व्याख्या**—इन विनियमों में प्रयुक्त शब्दों और वाक्यांशों जो इनमें परिभाषित नहीं हैं, किन्तु राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग अधिनियम, 2019 में परिभाषित हैं, उनका अर्थ उनके समान ही माना जाएगा।

## अध्याय—II

### शिक्षा संस्थान की स्थापना के लिए योजना, नए चिकित्सा पाठ्यक्रम (अन्तरस्नातक और/या स्नातकोत्तर) शुरू किया जाना।

4 **अनुमति का आदेश**— इस संबंध में प्रस्तुत आवेदन के प्रत्युत्तर में चिकित्सा मूल्यांकन रेटिंग बोर्ड द्वारा प्रदान की गई अनुमति के बिना किसी चिकित्सा महाविद्यालय या चिकित्सा संस्थान की स्थापना नहीं की जा सकती है और न ही नया चिकित्सा पाठ्यक्रम या नए पाठ्यक्रम शुरू किए जा सकते हैं।

यह उपबंध किया गया है कि चिकित्सा मूल्यांकन रेटिंग बोर्ड द्वारा इस प्रकार की कोई भी अनुमति इसके द्वारा जारी शर्तों जिसे वह लागू करना उपयुक्त समझे के विषयाधीन जारी कर सकता है।

5 **चिकित्सा मूल्यांकन रेटिंग बोर्ड द्वारा आवेदन आमंत्रित किया जाना**— बोर्ड निम्नलिखित में से एक या अधिक आवेदन आमंत्रित कर सकता है—

क. नए चिकित्सा संस्थान की स्थापना जिसमें अन्तर स्नातक पाठ्यक्रम शुरू किया जा सके।

ख. नए चिकित्सा संस्थान की स्थापना जिसमें स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम शुरू किया जा सके।

ग. नए चिकित्सा संस्थान की स्थापना जिसमें अन्तरस्नातक और स्नातकोत्तर दोनों चिकित्सा पाठ्यक्रम शुरू किए जा सकें।

घ. अन्तरस्नातक पाठ्यक्रम/पाठ्यक्रमों को शुरू किए जाने या किसी स्थापित चिकित्सा संस्थान में अन्तरस्नातक सीटों की संख्या घटाने या बढ़ाने हेतु।

ड. स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम/ पाठ्यक्रमों को शुरू किए जाने या किसी स्थापित चिकित्सा संस्थान में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों की संख्या घटाने या बढ़ाने हेतु।

6. **आवेदक और आवेदन**— निम्नलिखित निकायों को छोड़कर कोई नए चिकित्सा महाविद्यालय या चिकित्सा संस्थान की स्थापना या नए चिकित्सा पाठ्यक्रम या नए चिकित्सा पाठ्यक्रमों जो भी स्थिति हो शुरू करने का आवेदन करने के पात्र नहीं होंगे—

क. केंद्रीय सरकार, या

ख. राज्य सरकार या राज्य सरकारों के भागीदारी वाले समूह,

ग. संघ राज्य क्षेत्र सरकार या

घ. भारत में सम्यक रूप से स्थापित विष्वविद्यालय, या संविधि

ड. केंद्रीय या राज्य सरकार द्वारा संविधि के अधीन प्रोत्साहित किए गए स्वशासी निकाय और जिसमें चिकित्सा संस्थान शुरू करके शिक्षा प्रदान करने के मामले के प्रयोजनों का कोई टकराव न हो, या

च. सोसाइटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1860 (1860) के 21 के अधीन या संबंधित राज्य में स्थापित और विनियमित किए जाने वाले सोसाइटियों से जुड़े संबंधित विधि के अधीन सोसाइटियां।

छ. कम्पनी अधिनियम, 2013 या इसकी स्थापना के दौरान किसी समान 8 के अधीन सम्यक रूप से निगमित कम्पनी या

7. पात्र निकाय चिकित्सा मूल्यांकन और रेटिंग बोर्ड द्वारा नए शिक्षा संस्थानों की स्थापना और नए चिकित्सा पाठ्यक्रम अन्तरस्नातक और/ या स्नातकोत्तर शुरू करने हेतु अधिसूचना के माध्यम से आवेदन आमंत्रित करने पर ही आवेदन करेंगे और आवेदन निर्धारित समय—सीमा में होगा

बशर्ते पात्र निकाय राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग के वेबसाइट पर उपलब्ध वेब पोर्टल के माध्यम से या उस तरीके से जो सम्यक रूप से चिकित्सा मूल्यांकन रेटिंग बोर्ड के इस सम्बंध में प्रदान किए गए प्रपत्र में अधिसूचित किया गया हो और साथ ही अधिसूचना में विनिर्दिष्ट शुल्कों का भुगतान किया गया हों।

8. इन विनियमों में कही गई किन्हीं बातों के प्रति बिना किसी पूर्वाग्रह के, उपर्युक्त धारा 7 में विनिर्दिष्ट ऐसे निकाय चिकित्सा संस्थान स्थापित करने या नए चिकित्सा पाठ्यक्रमों को शुरू करने हेतु, जैसी भी स्थिति हो, वे आवेदन की तिथि को तभी आवेदन कर सकते हैं, जब वे आवेदन की तिथि को अन्तर स्नातक चिकित्सा शिक्षा बोर्ड या स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा बोर्ड द्वारा अधिसूचित न्यूनतम आवश्यक मानकों के अधीन दी गई शर्तों को पूरा करते हों।

9. पात्र निकाय द्वारा प्रस्तुत किसी भी आवेदन पर तब तक विचार नहीं किया जाएगा जब तक निम्नलिखित संलग्न न हो—

क. सम्बंधित राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन या समुचित प्राधिकरण द्वारा जारी अनिवार्य प्रमाणपत्र ईसी जो भी स्थिति हो, या फिर जब तक आवेदन के साथ विनिर्दिष्ट अनिवार्य प्रमाणपत्र वैध न हो, और

ख. आवेदनकर्ता निकाय के नाम से लिखित में जारी मान्यता प्राप्त विष्वविद्यालय से प्राप्त सम्बद्धता की सहमति (सीओए) का पत्र आवेदन करने के समय (सीओए) को वैध माना जाएगा, और

ग. निकाय द्वारा विशिष्ट निधि की स्थापना नए चिकित्सा संस्थान को समर्पित भाव से लागू करने को दर्शानेवाला दस्तावेजी प्रमाण, और

घ. आवेदन करने की अंतिम तिथि से 90 दिन पूर्व चार्टर्ड एकाउंटेंट्स द्वारा जारी ऋण शोध क्षमता प्रमाण पत्र, और जैसा कि एमएआरबी द्वारा जारी अधिसूचना में अधिदेशित है।

ड. प्रमाणित दस्तावेजों के माध्यम से दर्शाया गया तथ्य कि भूमि का यथा योग्य क्षेत्र जो पात्र निकाय के स्वामित्व में हो या पट्टे के अधीन की गई व्यवस्था या अन्य प्रकार की व्यवस्था की गई हो, और

च. यदि पात्र निकाय केंद्रीय या राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन से अलग हो, तो आवेदक की आवश्यक मूलभूत अवसंरचना, उसे प्राप्त प्रशासनिक और वित्तीय समर्थन से संबंधित क्षमताओं का उपबंध, और

छ. न्यूनतम मानक आवश्यकता में दर्शाए गए उपबंध के अनुरूप आवश्यक क्षमता वाले अस्पताल के स्वामित्व या संचालन का दस्तावेजी प्रमाण

ज. निर्धारित आवेदन शुल्क और बैंक गारंटी जमा किए जाने को दर्शाने वाला प्रमाण, और

झ. चिकित्सा मूल्यांकन रेटिंग बोर्ड (एमएआरबी) द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किए जाने में ऐसे दूसरे दस्तावेजों का प्रमाण

**व्याख्या 1**—अनिवार्य प्रमाण पत्र की वैधता की अवधि “उपर्युक्त क में” दर्शायी गई” जारी करने की तिथि से आवेदन प्राप्त करने की तिथि तीन वर्षों की अवधि की होगी या जारी करनेवाले प्राधिकरण ने यदि कोई पूर्व की तिथि विनिर्दिष्ट की हो तो उस तिथि तक वैध रहेगी।

**व्याख्या 2**—पात्र निकाय के नाम पर जारी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से प्राप्त संबद्धता की सहमति की वैधता समाप्त हो जाएगी यदि आवेदन जिस प्रयोजन के लिए उपयोग में लाया गया था, का उपयोग अलग प्रयोजन के लिए किया गया है। आवेदन अस्वीकृत हो जाने पर पात्र निकाय नई संबद्धता की सहमति प्राप्त करेगी। बशर्ते संबद्धता की सहमति की कुल अवधि इसे जारी किए जाने की तिथि या जारी करने वाले प्राधिकरण में यदि कोई पूर्व की तिथि विनिर्दिष्ट की हो तक तीन वर्षों की होगी।

**व्याख्या 3**—स्थापित चिकित्सा संस्थानों नए चिकित्सा पाठ्यक्रमों के लिए सीटों की संख्या के आवेदन करने वाले को कुछ दस्तावेजों जिन्हें विनिर्दिष्ट किया जाएगा आवेदनकर्ता को बुलाने के समय से छूट प्रदान की जाएगी।

यह उपबंधित है कि प्राप्त किए गए अपूर्ण आवेदनों, वर्तमान विनियम में विनिर्दिष्ट अधिदेशित दस्तावेजों के बिना प्रस्तुत किए जाने वाले तुच्छ आवेदनों को चिकित्सा मूल्यांकन एवं रेटिंग बोर्ड द्वारा तत्काल अस्वीकृत कर दिया जाएगा।

इसमें आगे यह उपबंध किया गया है कि पात्र निकाय के एक बार अस्वीकृत हो जाने के पश्चात् बाद में जारी किए जाने वाले अधिसूचना के माध्यम से आवेदन आमंत्रित किए जाने के अगले अवसर तक फिर से आवेदन करने का मौका नहीं मिलेगा।

#### 10. पात्रता मानदंड—

क. किसी भी चिकित्सा संस्थान को तब तक अनुमति नहीं प्रदान की जाएगी, जब तक वे संबंधित सभी शर्तों को पूरा नहीं करते, लेकिन यह वास्तविक अवसंरचना, शिक्षण कर्मचारी, नैदानिक सामग्रियों और अस्पतालों तक सीमित नहीं होंगे, जिनके बारे में विस्तृत जानकारी समय-समय पर अधिसूचित न्यूनतम मानक अनिवार्यता में दी जाती है।

ख. उपर्युक्त उप-धारा “क” में उल्लिखित किसी विषय पर बिना किसी पूर्वाग्रहके, अन्तरस्नातक चिकित्सा शिक्षा बोर्ड या स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा बोर्ड जो भी स्थिति हो, समय-समय पर न्यूनतम मानक अनिवार्यता जारी करेंगे जिनमें अधिनियम के सम्पूर्ण प्रयोजनों को ध्यान में रखते हुए आवश्यक परिवर्तन या संशोधन करेंगे।

ग. धारा - 10 में उल्लिखित तथ्यों के रहते हुए भी, सभी परिवर्तित या संशोधित न्यूनतम मानक अनिवार्यता को लागू करना होगा।

11. **चिकित्सा मूल्यांकन रेटिंग बोर्ड (एमएआरबी) द्वारा आवेदन का मूल्यांकन किया जाना**— विनियमों में उल्लिखित किसी भी तथ्य के प्रति बिना किसी पूर्वाग्रह के, **एमएआरबी** निम्नलिखित व्यापक मानदंडों पर आधारित उपर्युक्त धारा 9 के अधीन पात्र निकाय से प्राप्त आवेदनों का मूल्यांकन करेगा—

क. प्रस्तावित स्थान पर शिक्षा संस्थान की स्थापना की अभिप्रेतता और व्यवहार्यता।

ख. इस बात का मूल्यांकन करेगा कि पात्र निकाय प्रचलित न्यूनतम मानक अनिवार्यताओं में निर्धारित आवश्यक शर्तों जिनमें वास्तविक अवसंरचना, योग्य शिक्षक और अस्पताल से संबंधित पर्याप्त नैदानिक सामग्रियां, प्रयोगशाला, रोगी, नैदानिक प्रक्रियाओं और वर्तमान न्यूनतम मानक अनिवार्यता में विनिर्दिष्ट अन्य प्रक्रिया में शामिल हैं, को पूरा करते हैं अथवा नहीं।

ग. इस बात का मूल्यांकन करेगा कि आवेदनकर्ता द्वारा प्रस्तुत योजना यह दर्शाती है कि एक बार चिकित्सा संस्थान स्थापित हो जाने पर स्वयं को समुचित रूप से चला पाएंगे अथवा नहीं।

12. उपर्युक्त धारा 11 के प्रति बिना किसी पूर्वाग्रह के **एमएआरबी** अपने स्वयं के विवेकाधीन निर्णय से, आवेदक से नए चिकित्सा संस्थान की स्थापना का नए चिकित्सा पाठ्यक्रम शुरू किए जाने की अनुमति देने पर विचार करते समय अतिरिक्त जानकारी या स्पष्टीकरण या अतिरिक्त दस्तावेजों की मांग कर सकता है।

13. पात्र निकाय उपर्युक्त धारा 12 के अधीन मांगी गई कोई जानकारी या स्पष्टीकरण या अतिरिक्त दस्तावेज एमएआरबी से सूचना प्राप्त करने की तिथि से विनिर्दिष्ट समय या 15 दिनों के भीतर जो भी पहले हो, को ऐसी जानकारी या स्पष्टीकरण या अतिरिक्त दस्तावेज प्रदान या प्रस्तुत करेंगे।

यह उपबंध किया गया है कि एमएआरबी द्वारा अधिदेशित निर्देश के अनुरूप कमी दूर करने या सुधार करने या ऐसी जानकारी प्रस्तुत करने या स्पष्ट करने या अतिरिक्त दस्तावेज आदि प्रदान करने में विफल रहने पर पात्र निकाय के आवेदन स्वतः अस्वीकृत हो जाएंगे।

14. **अनुमति मूल्यांकन:** किसी बात का उल्लेख रहते हुए भी, एमएआरबी आवेदक को चिकित्सा संस्थान स्थापित करने की अनुमति देने से पूर्व अपने स्वविवेक से मूल्यांकन करने और/अथवा निरीक्षण करने की समुचित क्रियाविधि निर्धारित करता है।

यह उपबंधित किया गया है कि ऐसी क्रियाविधि में डिजिटल या किसी रूप में दिए गए दस्तावेज, आधार आधारित उपस्थिति—पंजिका, लाइव वीडियो, तस्वीरों, अस्पताल सूचना प्रबंधन प्रणाली(हिम्स) का डाटा या अचानक किया गया वास्तविक मूल्यांकन आदि शामिल होंगे लेकिन ये इनकी जांच तक सीमित नहीं रहेंगे।

15. **परिणाम का मूल्यांकन और अनुमोदन पत्र जारी करना**— किए गए मूल्यांकन के आधार पर; चिकित्सा मूल्यांकन एवं रेटिंग बोर्ड पूर्ण आवेदन प्राप्त करने की तिथि से छः महीने की अवधि के भीतर पात्र निकाय या अन्यथा रूप में निकाय को अपना निर्णय प्रेषित करेंगे।

बशर्ते यदि अनुमोदित हो जाता है चिकित्सा मूल्यांकन और रेटिंग बोर्ड अपने मुहर लगाकर ऐसी शर्तों के साथ जिन्हें वह उपयुक्त समझे पात्र निकाय को अनुमति पत्र जारी करेगा।

इसमें आगे यह उपबंध है कि अनुमति पत्र राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग के वेबसाइट पर भी अधिसूचित किया जाएगा।

16. उपर वर्णित किसी भी तथ्य के प्रति बिना किसी पूर्वाग्रह के अनुमति पत्र में निर्धारित ऐसी सभी शर्तों का पात्र निकाय पालन करेगा और एमएआरबी को ऐसी सूचना मांगने को अधिकार होगा या मामले की जांच करा सकेगा कि इन सभी शर्तों का शब्दशः और पूरी भावना के साथ पालन किया जाता है।

### अध्याय—III

#### चिकित्सा संस्थान में विद्यमान पाठ्यक्रमों के लिए सीटों की संख्या बढ़ाने की योजना

17. कोई भी चिकित्सा संस्थान एमएआरबी की पूर्व अनुमति के बिना किसी भी विद्यमान पाठ्यक्रम में सीटों की संख्या नहीं बढ़ा सकता।

यह उपबंधित है कि एमएआरबी द्वारा सीटों की संख्या बढ़ाने की अनुमति नहीं दी जाएगी यदि चिकित्सा संस्थान ने पूर्व में स्वीकृत सीटों की संख्या के अनुरूप छात्रों को प्रवेश न दिया हो।

18. उपर्युक्त धारा 17 में वर्णित किसी बात का खण्डन किए गए बगैर, सीटों की संख्या बढ़ाने के आवेदन के साथ निम्नलिखित संलग्न किए जाएंगे—

क. मान्यता प्राप्त विष्वविद्यालय जो विनिर्दिष्ट पाठ्यक्रमों में लिखित में प्रस्तावित सीटों की संख्या बढ़ाने से संबंधित संबद्धता की सहमति; और

ख. एमएआरबी द्वारा अधिसूचना के माध्यम से समय—समय पर निर्धारित आवेदन शुल्क और बैंक गारंटी; और

ग. कोई भी अन्य दस्तावेज जो आवेदन मांगते समय निर्धारित किया गया हो।

19. चिकित्सा संस्थान से सीटों की संख्या बढ़ाने का आवेदन एक बार प्राप्त हो जाने पर, एमएआरबी अनुमोदन प्रदान करने से पूर्व उसके गुण—दोष का मूल्यांकन करेगा।

बशर्ते इन विनियमों के अध्याय II-में दर्शाए गए समान मानदंड ऐसे मूल्यांकन के लिए सभी परिवर्तनों के साथ लागू होंगे।

### अध्याय IV

#### मूल्यांकन और रेटिंग

20. **किसी चिकित्सा संस्थान के रेटिंग निर्धारित करने के प्रयोजन हेतु एमएआरबीद्वारा मूल्यांकन किया जाना** - एमएआरबी चिकित्सा संस्थानों का मूल्यांकन करेगा और रेटिंग निर्धारित करेगा और उसे अपने कार्यों को निर्वहन करने के लिए अधिनियम के अधीन ऐसे सभी प्राधिकार विहित किया जाएगा।

इसमें उपबंधित है कि इन विनियमों में वर्णित किसी तथ्य के प्रति बिना किसी पूर्वाग्रह के चिकित्सा संस्थानों का मूल्यांकन करने और रेटिंग निर्धारित करने के लिए एमएआरबी अपनी ओर से स्वतंत्र तीसरे-पक्ष एजेंसी या एजेंसियों को नियुक्त कर सकता है।

इसमें आगे यह उपबंध किया गया है कि चिकित्सा संस्थानों के कार्यों का मूल्यांकन करने और रेटिंग का निर्धारण करने का कार्य करने हेतु स्वतंत्र तीसरे पक्ष की एजेंसी या एजेंसियों की नियुक्ति के लिए एमएआरबी विस्तृत पत्र में दर्शाया गया हो।

21. एमएआरबी किसी भी चिकित्सा संस्थान से किसी भी समय मूल्यांकन करने और रेटिंग निर्धारित करने के प्रयोग से कोई भी सूचना, स्पष्टीकरण, दस्तावेज या डिजिटल सामग्री मांग सकता है।

22. आगे, एमएआरबीसभी चिकित्सा संस्थानों या विशिष्ट संख्या में किसी इन संस्थानों या किसी विशिष्ट संस्थान का या तो स्वयं ही प्रत्यक्ष रूप से या ऐसे नामित एजेंसी या एजेंसियों के माध्यम से मूल्यांकन करेगा।

23 इन विनियमों में वर्णित किसी भी तथ्य के प्रति कोई पूर्वाग्रह के लिए ऐसी क्रियाविधि विकसित करेगा, जिससे चिकित्सा महाविद्यालयों या चिकित्सा संस्थानों के कार्य प्रदर्शन को निरंतर निगरानी होती रहे जिससे उनका मूल्यांकन और रेटिंग हो सके।

24 इन विनियमों या अन्यत्र वर्णित तथ्यों के होते हुए भी, एमएआरबी निम्नलिखित पैरामीटरों पर आधारित होगा, संबंधित पैरामीटरों को यथोचित महत्व दिया जाएगा—

क. अन्तरस्नातक चिकित्सा शिक्षा बोर्ड और स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा बोर्ड द्वारा निर्धारित किए गए मानकों का पालन किया जाना।

ख. अंगीकृत किए गए शिक्षण की नवीन विधियों और छात्रों को प्रस्ताव किए गए पाठ्यक्रमों (निर्धारित पाठ्यक्रमों के अलावा) के माध्यम से शैक्षणिक उत्कृष्टता को दर्शाना।

ग. चिकित्सा संस्थान के द्वारा किए गए शोध सामग्रियों ने विद्यमान ज्ञान को बनाए रखने में योगदान दिया है और चिकित्सा संस्थान द्वारा किए गए शोध का प्रभाव पड़ा है।

घ. चिकित्सा संस्थान द्वारा स्थापित छात्रों का अनुशासन और संतोषजनक शिक्षा का वातावरण।

ड. चिकित्सा संस्थानों के विभिन्न कार्यक्रमों पर छात्रों द्वारा दिए गए फीडबैक को यथोचित महत्व दिया गया है।

च. राष्ट्रीय और अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर शैक्षणिक गतिविधियों में छात्रों/शिक्षकों द्वारा भागलिया जाना।

छ. खेलकूद और सामाजिक गतिविधियों में मानकों/सुविधाओं के अनुरूप भागीदारी।

ज. एमएआरबी द्वारा समय पर हुई अन्य मूल्यांकन मानदंड अधिसूचित किया जा सकता है।

बशर्ते उपर्युक्त के प्रति बिना किसी पूर्वाग्रह के, एमएआरबी चिकित्सा संस्थानों के मूल्यांकन और रेटिंग के लिए समय-समय पर मानदंड अधिसूचित करेगा।

**25 रेटिंग का प्रकाशन**—एमएआरबी अपने वेबसाइट पर या जनता की जानकारी के मंच पर चिकित्सा महाविद्यालयों या चिकित्सा संस्थानों के अद्यतन वार्षिक मूल्यांकन और रेटिंग को इस प्रकार से उपलब्ध कराएगा ताकि जनता इसे समझ सके और इसका उपयोग कर सके।

**26 वार्षिक प्रकटीकरण प्रतिवेदनों को प्रस्तुत किया जाना**—सभी चिकित्सा संस्थान (अधिनियम (24अ और 25ज) के अधीन विनिर्दिष्ट मानकों के अनुपालन में अनिवार्य रूप से वार्षिक प्रकटीकरण प्रतिवेदन निर्धारित प्रारूप में निर्धारित शुल्क के साथ अन्तरस्नातक चिकित्सा शिक्षा बोर्ड और/या स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा बोर्ड को प्रस्तुत करेगा। इसकी एक प्रति एमएआरबी को भेजा जाएगा।

इसमें उपबंध किया गया है कि अनिवार्यतः वार्षिक प्रकटीकरण प्रतिवेदन शैक्षणिक वर्ष किसी पाठ्यक्रम में सभी छात्रों के प्रवेश लेने के बाद और अन्तिम छात्र के प्रवेश ले लेने की तिथि से 30 दिनों के बाद नहीं प्रस्तुत किया जाएगा।

27 अन्यत्र कहीं भी कही गई बातों के होते हुए भी चिकित्सा संस्थान द्वारा वार्षिक प्रकटीकरण प्रतिवेदन अधिसूचित अवधि में प्रस्तुत करने में विफल रहने पर, जैसाकि धारा 26 में दर्शाया गया है कि, ऐसे चिकित्सा संस्थानों को अगले शैक्षणिक वर्ष से छात्रों को प्रवेश देने से वंचित कर दिया जाएगा जब तक एमएआरबी द्वारा कुछ और निर्देश नहीं दिया जाए।

यह भी उपबंध किया है कि चिकित्सा संस्थान वार्षिक प्रकटीकरण प्रतिवेदन को स्व समीक्षा के रूप में प्रयोग कर सकते हैं और एमएआरबी को सीटों /पाठ्यक्रमोंकी संख्या स्वैच्छिक रूप से घटाने का अनुरोध कर सकता है तथा सीटों/पाठ्यक्रमों को समुचित रूप से पूर्वस्थिति में बहाल करने का भी अनुरोध कर सकता है।

## अध्याय V

### प्रतिशोध और दंड

28. सभी चिकित्सा संस्थानों को मार्ब द्वारा जारी विनियमों और निदेशों को शब्दशः पूरी भावना के साथ विनिर्दिष्ट समयावधि के दौरान जहां समय-सीमा लागू हो, अनुपालन करना होगा।

29. **अनुपालन नहीं किए जाने को परिभाषित किया जाना**—किसी चिकित्सा संस्थान के निम्नलिखित कृत्या या विलोप को अनुपालन नहीं करना माना जाएगा—

क. राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग द्वारा समय-समय पर जारी किन्हीं विनियमों और अधिसूचनाओं का अनुपालन नहीं किया जाना।

ख. चिकित्सा संस्थान द्वारा की गई कार्यवाही चिकित्सा संस्थान के उद्देश्यों के अनुरूप नहीं हो और रैंकिंग, शुल्क इत्यादि के मामले में छात्रों को शोषण जैसे संव्यवहार चल रहे हों।

ग. अवसंरचना, शिक्षण कर्मचारियों, नैदानिक सामग्री और एमएमआर के माध्यम से या अन्तर स्नातक चिकित्सा शिक्षा बोर्ड और या स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा बोर्ड द्वारा निर्धारित मानदंडों में कमी हो।

घ. एमएमआरबी का प्रतिनिधित्व करने वाले मूल्य निर्धारकों या एमएमआरबी द्वारा इस संबंध में अन्य नामित एजेन्सी के साथ किसी प्रकार का किया गया दुर्व्यवहार, असहयोग दर्शाया जाना, निरीक्षण प्रक्रिया आदि को मना करना।

ड. शिक्षण कर्मचारियों द्वारा छात्रों के साथ शारीरिक दुर्व्यवहार, प्रबंधन आदि द्वारा शिक्षकों और या छात्रों का उत्पीड़न किया जाना।

च. चिकित्सा संस्थान की स्थापना सहित किन्हीं योजनाओं के लिए अनुमति प्राप्त करने हेतु मिथ्या जानकारी प्रेशित करना।

छ. एमएमआरबी या स्वशासी बोर्डों, राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग द्वारा नियुक्त तीसरे पक्षकारों निरीक्षण करने के दौरान गलत जानकारी देना या गलत प्रमाण प्रस्तुत करना और ये सब बातें चाहे बाद में जानकारी में क्यों न आए।

ज. मूल्यनिर्धारकों या राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के अधिकारियों को रिष्वत देने या उन पर दबाव डालने या उन्हें धमकी देने का कोई भी प्रयास।

झ. एनएमसी द्वारा इस संबंध में अधिसूचित कोई कृत्य किया जाना या विलोपन किया जाना जिसे राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग किया गया है।

30. **अर्थदंड**— चिकित्सा संस्थान द्वारा किसी प्रकार का अनुपालन नहीं किए जाने या अनुपालन नहीं किए जाने का कृत्य करने का प्रयास करने की मंशा रखने या किसी तथ्य का विलोप करने की स्थिति में राष्ट्रीय अधिनियम की धारा 26 की उपधारा(च) के अनुसार या तो चिकित्सा महाविद्यालय या चिकित्सा संस्थान पर अर्थदंड लगाएगा और/या ऐसी घटना या कृत्य की आगे जांच करेगा और जहां भी आवश्यक होगा, उसे सही करने का अवसर प्रदान करेगा।

31. उपर्युक्त धारा 30 में वर्णित किसी तथ्य के प्रति बिना किसी पूर्वाग्रह के अर्थदंड लगाए जाने में निम्नलिखित में से एक/अधिक/सभी शामिल किए जाएंगे।

क. अनुपालन हेतु यथोचित समय देते हुए चेतावनी जारी किया जाना या मामले को सही किया जाना जो भी स्थिति चिकित्सा संस्थान के मामले में हो।

ख. चिकित्सा संस्थान द्वारा प्रत्येक बार अनुपालन नहीं करने पर अर्थदंड लगाया जाना जो एक करोड़ रुपया से अधिक नहीं होना चाहिए।

ग. उस शैक्षणिक वर्ष के लिए याकई वर्षों के लिए किसी नई योजना के लिए आवेदन की प्रक्रिया को रोक दिया जाना।

घ. चिकित्सा संस्थान अगले वर्ष या बाद के शैक्षणिक वर्षों में छात्रों की संख्या घटाएगा।

ड. अगले या बाद के शैक्षणिक वर्ष में एक या अधिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश को रोकना।

च. मान्यता वापस लेने के लिए राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग को सिफारिश करना।

छ. चिकित्सा संस्थान का अगले पांच शैक्षणिक वर्षों तक रेटिंग को रोकना और वापस लिया जाना।

ज. व्यक्तियों या एजेंसी के माध्यम से एमएमआरबी या एनएमसी पर दबाव डालने के प्रयास के परिणामस्वरूप चिकित्सा संस्थान द्वारा किए गए आवेदन/अनुरोध की प्रक्रिया तत्काल रोक दी जाएगी।

यह उपबंधित किया गया है कि चिकित्सा संस्थान को अपनी कमियां दूर करने के लिए उपयुक्त अवसर दिया जाएगा और आगे कोई भी कार्यवाही तभी की जाएगी यदि वह आवश्यक मानदंडों को पूरा करने में विफल रहता है।

आगे यह भी उपबंधित है कि एमएमआरबी या आयोग गलत जानकारी प्रस्तुत करने या उस समय प्रभावी आपराधिक कानून के अनुसार गलत दस्तावेज तैयार करने पर आपराधिक प्रक्रिया भी शुरू कर सकती है।

## अध्याय—VI

### निवारण, अपील इत्यादि

32. **आयोग को अपील किया जाना**— चिकित्सा संस्थान या कोई पीड़ित व्यक्ति उपर्युक्त शुल्कों के साथ जैसाकि एमएमआरबी द्वारा पारित किन्हीं आदेशों या लिए गए निर्णय में विनिर्दिष्ट है, जिसमें निम्नलिखित शामिल होंगे—

क. योजना का निरनुमोदन।

ख. जहां योजनाओं के अनुमोदन के लिए एमएमआरबी के समक्ष किया गया आवेदन या अनुरोध के मामले में कोई निर्णय नहीं लिया गया हो।

ग. इन विनियमों की धारा 31 के अनुसार दंड दिया गया हो।

बशर्ते एमएमआरबी द्वारा पारित किए गए आदेशों या लिए गए निर्णय के पन्द्रह दिनों के भीतर ऐसी अपील आयोग के समक्ष दायर कर दी गई हो।

33. केन्द्रीय सरकार को अपील किया जाना— जहां आवेदक धारा 15 के अधीन आयोग के निर्णय से पीड़ित है या जहां आयोग यह अपील प्राप्त करने की तिथि 45 दिनों के भीतर या समय सीमा समाप्त हो जाने पर, जैसी भी स्थिति हो, द्वितीय अपील केंद्रीय सरकार के समक्ष दायर की जा सकती है।

डॉ. पुलकेश कुमार, सचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./147/2023-24]

टिप्पणी : ये विनियम अंग्रेजी और हिन्दी में प्रकाशित किए जा रहे हैं, इन विनियमों की व्याख्या के मामले में कोई शंका होने की स्थिति में अंग्रेजी संस्करण मान्य होगा।

## NATIONAL MEDICAL COMMISSION

(Medical Assessment and Rating Board)

### NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd June, 2023

**No. M-27011/01/2023-MARB.**—In exercise of the powers conferred vide sub-section (2) of Section 57 read with Sections 26, 28 and 29 of the National Medical Commission Act, 2019 (Act 30 of 2019); the National Medical Commission hereby makes the following Regulations.

1. (i) These Regulations may be called the “**Establishment of New Medical Institutions, Starting of New Medical Courses, Increase of Seats for Existing Courses & Assessment and Rating Regulations, 2023**”, in short “**Establishment of Medical institutions, Assessment & Rating Regulations, 2023**”.

(ii) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

### CHAPTER-I

#### DEFINITIONS

2. **Definitions** – In these Regulations, unless the context otherwise requires the terms defined herein shall bear the meaning assigned to them below and their cognate expressions and variations shall be construed accordingly –

- a. “Act” shall mean the National Medical Commission Act, 2019 (Act No. 30 of 2019).
- b. “Assessment” shall mean the process of evaluating a medical institution by the concerned authorities, as being compliant with the applicable Regulations, guidelines/standards, and/or orders and circulars issued by the NMC and other authorities as the case may be from time to time.
- c. MARB shall mean the Medical Assessment and Rating Board duly constituted under Section 16 of the National Medical Commission Act, 2019.
- d. “Commission” shall mean National Medical Commission established by Section 3 of the National Medical Commission Act, 2019.
- e. “Consent of Affiliation” (in its abbreviated form CoA) shall mean a letter in writing obtained from a recognized university, issued in the name of the applicant agreeing to affiliate the medical institution for the award of the necessary qualifications by the University.
- f. “Essentiality Certificate” (in its abbreviated form EC) shall mean written permission from the central or concerned state government or the Union Territory administration as the case may be for the establishment of a new medical institution.
- g. “Medical Institution” shall mean a medical institution as defined in sub-section (i) of Section 2 of the National Medical Commission Act, 2019; and shall also include a medical college in its commonly understood form.
- h. “Inspection” – the expression or activity of ‘inspection’ shall include virtual and/or physical inspection and/or evaluation of actual and/or digital records or information.
- i. “MSR” shall mean the Minimum Standards of Requirements as Notified either by UGMEB or PGMEB as the case may be from time to time, which shall also include, explanatory notes, circulars, advisories etc. issued by the corresponding Boards or the Commission.
- j. “PGMEB” shall mean the Postgraduate Medical Education Board duly constituted under Section 16 of the National Medical Commission Act, 2019.
- k. “UGMEB” shall mean the Undergraduate Medical Education Board duly constituted under Section 16 of the National Medical Commission Act, 2019.



3. **Interpretation** – Words and phrases used in these Regulations which are not defined here, but defined in the National Medical Commission Act, 2019 shall have the same meaning assigned to them there.

## CHAPTER-II

### SCHEME FOR ESTABLISHMENT OF MEDICAL INSTITUTION, STARTING OF NEW MEDICAL COURSES (UNDERGRADUATE AND/OR POSTGRADUATE)

4. **The mandate of permission** – No medical college or medical institution can be established, or new medical course or courses be started unless it is granted permission by the MARB in writing, in response to an application submitted in this regard.

**Provided** any such permission by the MARB may be issued subject to such conditions as it may think fit to impose.

5. **MARB inviting applications** – The MARB may invite applications for one or more of the following –

- a. Establishing a new medical institution intending to offer undergraduate courses.
- b. Establishing a new medical institution intending to offer postgraduate medical courses.
- c. Establishing a new medical institution intending to offer both undergraduate and postgraduate medical course/s.
- d. For starting undergraduate course or increase or decrease in the numbers of UG seats in an established medical institution.
- e. For starting postgraduate medical course/s or increase or decrease in the numbers of PG seats in an established medical institution.

6. **Applicant and application** – No entity other than the following shall be eligible to apply for establishing a new medical college or medical institution or to start a new course or courses in medicine as the case may be –

- a. The Central Government; or
- b. The State Government or State Governments in partnership; or
- c. The Union Territory; or
- d. A university duly established in India; or
- e. An autonomous body promoted by the Central or the State Government by or under a statute, and has no conflict of objectives for undertaking medical education by starting a medical institution; or
- f. A society registered under the Societies Registration Act, 1860 (21 of 1860) or any respective statute meant to establish and regulate Societies in the respective State; or
- g. A Section 8 Company duly incorporated under the Companies Act, 2013 or any other corresponding law in force during its establishment; or

7. The eligible entity shall apply only upon invitation by the MARB by way of Notification of inviting applications for establishing new medical institutions and starting new medical courses (UG and/or PG) within the deadline prescribed therein.

**Provided** the eligible entity shall apply, through a web portal made available on the website of the National Medical Commission, or by such means as may be duly Notified, to the MARB in a proforma provided in this regard along with such fees as may be specified in the Notification.

8. Without prejudice to anything stated in these Regulations, such entities as specified in Section-7 above, shall submit their application seeking permission to establish a medical institution or for starting a new medical course or courses, as the case may be, only if they satisfy all conditions provided under the Notified MSRs by the UGMEB or PGMEB as on the date of the application.

9. No application submitted by the eligible entity shall be entertained unless it is accompanied with –

- a. Essentiality Certificate (EC) issued by the concerned State Government or Union Territory administration or the appropriate authority as the case may be unless otherwise specified. The EC shall be valid at the time of application; and
- b. A Consent of Affiliation (CoA) letter obtained from a recognized university, issued in the name of the applicant entity in writing. The CoA shall be valid at the time of application; and
- c. Documentary proof indicating the establishment of a corpus fund by the entity dedicatedly applicable to functioning of the new medical institution year after year; and
- d. A solvency certificate issued by a Chartered Accountant within ninety days prior to the last date of submission of the application as mandated by the Notification issued by the MARB; and

- e. Documents by way of proof that such reasonable area of land is either owned or arranged under lease or such other arrangement by the eligible entity; and
- f. Capabilities with regard to the provision of required basic infrastructure, administrative and financial support of the applicant, if the eligible entity is other than Central or a State Government or Union Territory administration; and
- g. Documentary proof of owning or running a hospital of required capacity as indicated in the MSRs.
- h. Proof indicating remittance of prescribed application fee and bank guarantee; and
- i. Any such other documents are to be notified from time to time by the MARB.

**Explanation 1**—the period of validity of the EC indicated in (a) above shall be in accordance with that mentioned by the issuing authority for a period of three years from the date of issue or an earlier date if the issuing authority has specified.

**Explanation 2** – the CoA obtained from a recognized university issued in the name of the eligible entity shall lose its validity after the application for which it was used. The eligible entity shall obtain a new CoA if the application is rejected. Provided the CoA shall have a total life of three years from the date of its issuance or an earlier date if the issuing authority has specified.

**Explanation 3**– Established medical institutions applying for seats for new medical courses, may be exempted from some of these documents as will be specified while calling the applications.

**Provided** any incomplete applications received, meaning applications without the mandated documents specified in the present Regulation, shall be rejected by the MARB.

**Provided further** that once rejected the eligible entity shall lose the chance of reapplying till the next window of opportunity in calling for the applications.

10. **Eligibility criteria**—

- a. No medical institution shall be provided permission unless they satisfy the conditions pertaining to but not limited to physical infrastructure, teaching staff, clinical material and hospital as detailed in the MSRs notified from time to time.
- b. Without prejudice to anything stated in the sub-section (a) above, the UGMEB or PGMEB as the case may be, shall from time to time publish the MSR with such modifications or amends required, keeping in mind the overall objectives of the Act.
- c. Notwithstanding anything stated above in Section 10, all modified or amended MSRs shall have to be implemented.

11. **MARB evaluating the application** – keeping in mind the objective of the Act, without prejudice to anything stated elsewhere in the Regulations, the MARB shall evaluate the applications received from the eligible entity under Section 9 above, based on all of the following broad criteria viz.,

- a. The desirability and feasibility of setting up the medical institution at the proposed location.
- b. Assess whether the eligible entity fulfils the required conditions prescribed by the corresponding MSRs in vogue, which shall include physical infrastructure, qualified faculty, and adequate clinical material in terms of hospital, laboratory, patients, clinical procedures and others as specified in the corresponding MSR/s.
- c. Assess whether the scheme submitted by the applicant shows that, once established the medical institution will reasonably sustain itself.

12. Without prejudice to Section 11 above, at its sole discretion, the MARB may seek any additional information or clarification or additional documents from the applicant while considering the application for grant of permission for establishment of a new medical institution or for starting a new medical course.

13. The eligible entity shall provide or furnish such information or clarification, or additional documents sought under Section 12 above, within a specified time or 15 days, whichever is earlier, from the date of receipt of communication from the MARB.

Provided failure to remove or correct the deficiency or submit such information or clarify or provide additional documents etc., as mandated by the MARB within such specified time shall result in the rejection of the application.

14. **Assessment for Permission:** Notwithstanding anything stated elsewhere, the MARB determines the appropriate method of assessment and/or inspection, before granting permission to the applicant to establish a medical institution.

Provided such methods shall include, but not be limited to verification of documents in digital or another form, Aadhar-based attendance register, verification of live video feed, photographs, Hospital Management Information System (HMIS) data, or a surprise physical assessment etc.

15. Evaluation result and issuance of letter of approval – based on the assessment carried out; the MARB shall communicate its decision of permission or otherwise to the eligible entity within a period of six months from the date of receipt of the completed application.

Provided if approved, the MARB shall issue a letter of permission to the eligible entity under its seal, with such conditions as it may deem fit.

Provided further, the letter of permission shall also be notified on the National Medical Commission's website.

16. Without prejudice to anything stated elsewhere, it shall be the duty of the eligible entity to abide by all such conditions laid down in the letter of permission, and the MARB will have the right to seek such information or cause an inquiry done into the matter to verify all such conditions are observed in both letter and spirit.

### CHAPTER-III

#### SCHEME FOR INCREASE OF SEATS FOR THE EXISTING COURSES IN A MEDICAL INSTITUTION

17. No medical institution shall increase the seats of any of the ongoing courses without prior permission of the MARB.

Provided no grant of permission for an increase in seats will be given by the MARB if the medical institution has not admitted earlier sanctioned seats.

18. Without prejudice to anything stated in section 17 above, the application for an increase in the seats shall be accompanied with –

- a. Consent of affiliation from the recognized university concerned for the proposed number of seats in the specified courses in writing; and
- b. Such prescribed application fees and bank guarantees as determined by the MARB from time to time by way of Notification; and
- c. Any other documents as may be prescribed while inviting applications.

19. Once the application for an increase of seats is received from the medical institution, the MARB shall evaluate the same on its merit before granting approval.

Provided the same criteria indicated in Chapter II of these Regulations shall apply *mutatis mutandis* for such evaluation.

### CHAPTER-IV

#### ASSESSMENT AND RATING

20. **Assessment by the MARB for the purpose of rating a medical institution** – The MARB shall conduct an assessment and rating of all medical institutions and shall be vested with all such authority in discharging its functions under the Act.

Provided, without prejudice to anything stated in these Regulations, the MARB may appoint one or more independent third-party agency or agencies to conduct an assessment and rating of medical institutions, and on its behalf.

Provided further the MARB may prepare detailed guidelines in appointing independent third-party agency or agencies to carry on the work of assessment and rating of medical institutions.

Provided further that, if appointed the independent third-party agency or agencies shall have such power as indicated in their appointment letter issued by the MARB.

21. The MARB may seek any information, clarification, documents, or digital material from any medical institution at any time for the purpose of assessment and rating.

22. In furtherance, the MARB shall conduct an assessment of all or a specific number or any individual medical institution, either directly by itself or through such designated agency or agencies.

23. Without prejudice to anything stated in these regulations, the MARB shall develop such methodology whereby, the medical colleges or medical institutions are continuously monitored for their performance, leading to assessment and rating.

24. Notwithstanding anything stated elsewhere, either in these regulations or otherwise, the MARB rating shall be based on the following parameters, with such due weightage assigned to the respective parameters viz.,

- a. Compliance with the standards laid down by the UGMEB and PGMEB.
- b. Academic excellence shown through innovative methods of teaching adopted and courses (other than prescribed) offered to the students.
- c. The research output of the medical institution that has contributed to the existing knowledge and the research impact created by the medical institution.
- d. Student discipline and satisfactory teaching and learning environment created by the medical institution.
- e. The student feedback on various affairs of the medical institution, with due weightage assigned to them.
- f. Participation of students/faculty in academic activities at national and international level.
- g. Standards/facilities/participation in sports and social activities.
- h. Any other evaluable criteria may be notified by the MARB from time to time.

Provided, without prejudice to the above the MARB shall notify the criteria for assessment and rating of the medical institutions, from time to time.

25. **Publication of rating** – the MARB shall make available on its website or otherwise in the public domain the latest annual assessment results and ratings of medical colleges or medical institutions, in such a manner as to facilitate public understanding and consumption.

26. **Submission of annual disclosure reports** – all medical institutions shall furnish a Compulsory Annual Disclosure Report to UGMEB and/or PGMEB in compliance with the norms specified under the Act [24(i) and 25(h)] in the prescribed format and prescribed fee, with a copy to the MARB.

**Provided** the compulsory annual disclosure report shall be made once all students for the academic year are admitted to a given course and not later than thirty days to be calculated from the date of the last student's admission.

27. Notwithstanding anything stated elsewhere, failure to submit the annual disclosure report by the medical institution as indicated in Section 26 within a notified period shall amount to non-compliance and shall result in disciplinary proceedings under Chapter-V below.

Provided that, medical Institutions can use the Annual Disclosure as a form of self-appraisal and request the MARB for a voluntary decrease of seats/courses and also seek for restitution of seats / courses appropriately.

## CHAPTER-V

### SANCTIONS AND PENALTY

28. It shall be the duty of all medical institutions to follow the regulations and directions issued by the MARB, both in letter and spirit either within a specified time period or within a reasonable period of time, wherever the timelines are applicable.

29. **Non-compliance defined**—following acts or omissions of a medical institute shall amount to non-compliance—

- a. Non-compliance with any of the regulations, and notifications of the National Medical Commission issued from time to time.
- b. The medical institution has conducted in a manner which is not in accordance with the objectives of the medical institution and practices like ragging, exploiting students on fees etc.
- c. Deficiency in infrastructure, teaching staff, clinical material and others as prescribed by way of MSR or otherwise by UGMEB and/or PGMEB.
- d. Any act of misbehavior, non-cooperation, forbidding the inspection process etc., with the assessors representing the MARB or such other designated agency by the MARB in this regard.
- e. Physical misbehavior by teaching staff with the students, harassment of faculty and/or students by the management etc.
- f. False information declared for obtaining permission for any of the schemes including the establishment of a medical institution.
- g. Falsifying information or fabricating evidence at the time of inspection by the MARB or constituent autonomous boards or NMC-appointed third parties.

- h. Any attempt to bribe or pressurize or threaten assessors or officials of NMC.
- i. Any such act or omission as notified by the NMC in this regard.

30. **Penalties**—for any of the non-compliance or intentional attempt of non-compliance act or omission by the medical institution, the MARB shall either penalize the medical college or medical institution as per sub-section (f) of section 26 of the Act and/or conduct further enquiry into such incident or act, and wherever needed provide an opportunity to rectify the same.

31. Without prejudice to anything stated in Section 30 above the imposition of the penalty may include one/more/ all of the following –

- a. Issuance of warning with accommodation of reasonable time for compliance or rectification as the case may be by the medical institution.
- b. Monetary penalty not exceeding INR one crore per every non-compliance committed by the medical institution.
- c. Withholding processing of application for any new scheme/s for that academic year or for a such number of years.
- d. Reducing the number of students in the next or subsequent academic years to be admitted by the medical institution.
- e. Stoppage of admission to one or more of the courses in the next or subsequent academic years.
- f. Recommending to NMC for withdrawal of recognition.
- g. Withholding and withdrawal of rating of the medical institution for a period up to five academic years.
- h. Any attempt to pressurize MARB or NMC through individuals or agency will lead to immediate halt of the processing the application/request by the medical Institution.

**Provided** that the medical institution, may be granted a reasonable opportunity to rectify the deficiencies and any further action shall be taken if it fails to meet the requisite norms.

**Provided further** that, the MARB or the Commission may also initiate criminal proceedings for furnishing false information, or fabrication of false documents as per the criminal law in force at that time.

#### CHAPTER-VI

#### REDRESSAL, APPEAL ETC.

32. **Appeal to the Commission**—A medical institution or any such aggrieved person may file an appeal before the Commission with appropriate fees as specified against any orders passed or decision taken by the MARB which shall comprise the following –

- a. Disapproval of a scheme.
- b. Where no decision is taken within six months of applying or request to the MARB for approval of any of the schemes.
- c. Imposition of penalty as per Section 31 of these Regulations.

**Provided** such an appeal to the Commission is filed within fifteen days of passing an order or decision taken by the MARB.

33. **Appeal to Central Government**—Where an applicant is aggrieved by the decision of the Commission under Section 15 or where the Commission fails to give its decision within forty-five days from the date of receipt of such an appeal, a second appeal may be filed before the Central Government within thirty days from the date of such order or lapse of time, as the case may be.

Dr. PULKESH KUMAR, Secy.

[ADVT.-III/4/Exty./147/2023-24]

**Note:** These Regulations are being published in English and Hindi, the English version shall prevail in case of any doubt about the interpretation of these Regulations.